

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

- 1.अपील संख्या 2534 / 2011 / हनुमानगढ
- 2.अपील संख्या 2535 / 2011 / हनुमानगढ
- 3.अपील संख्या 2536 / 2011 / हनुमानगढ
- 4.अपील संख्या 2537 / 2011 / हनुमानगढ

वाणिज्यिक कर अधिकारी  
प्रतिकरापवंचन,श्रीगंगानगर

अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स मक्कड प्लास्टिक एजेन्सीज  
हनुमानगढ

प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री राकेश श्रीवास्तव,अध्यक्ष  
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थित:

श्री अनिल पोखरणा  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री राजेन्द्र जैन  
सी.एस

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 08.01.2015

निर्णय

अपीलार्थी, वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन,श्रीगंगानगर (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा उक्त चारो अपीलें उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर,बीकानेर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा पारित संयुक्तादेश दिनांक 11.02.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जो क्रमशः अपील संख्या 289, 119, 288 व 290/आर.वेट/एचएमओ/2010-11 के संबंध में है तथा जिनमें अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी ने राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 25, 26 55 व 61(1) के तहत जरिये वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 के कर निर्धारण आदेश दिनांक क्रमशः 20.08.2010, 26.03.2010, 20.08.2010 एवं 20.08.2010 को पारित करते हुए निम्न तालिका के अनुसार अंतर कर, अनुवर्ती ब्याज व शास्तियों आरोपित की गयी, के संबंध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर, उन्होंने आरोपित शास्तियों को अपास्त करते हुए आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित किया गया है:-

**2. अपील संख्या 2534, 2535,2536 व 2537 / 2011 / हनुमानगढ़**

अपील संख्या	निर्धारण आदेश दिनांक	निर्धारण अवधि	अतिरिक्त कर	अनुवर्ती ब्याज	शास्तियां अन्तर्गत धारा 61 व 58	योग
2534 / 11	20.08.10	01.04.2006 से 31.03.07	1,58,706 / -	73,006 / -	2,25,238 / -	4,56,950 / -
2535 / 11	26.03.10	01.04.2007 से 31.03.08	2,74,849 / -	82,520 / -	5,49,698 / -	9,07,067 / -
2536 / 11	20.08.10	01.04.2008 से 31.03.09	4,96,236 / -	1,09,172 / -	205,222 / -	8,10,630 / -
2537 / 11	20.08.10	01.04.2009 से 31.03.10	6,16,501 / -	61,650 / -	2,66,950 / -	9,45,101 / -

चूंकि चारों प्रकरणों में विवादित बिन्दु एक समान है अतः चारों अपील प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है । निर्णय की मूल प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली पर पृथक से रखी जा रही है ।

चारों अपील प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण करने पर आलोच्य अवधियों हेतु प्रस्तुत विवरणियों में दर्शायी गयी 4 प्रतिशत बिक्री क्रमशः रु. 20,52,479 / - , 45,75,631 / - , 60,16,384 / - एवं 16,11,775 / - पत्रावली रेकार्ड के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा "सेलो ब्राण्ड" के प्लास्टिक वस्तुओं का विक्रय किया गया है तथा जारी इन्वॉयसेज़ में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया गया है। अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त विक्रय बिलों के आधार पर यह अवधारित किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा विक्रय की गयी वस्तुयें "सैलो ब्राण्ड" भी प्लास्टिक ब्राण्डेड वस्तुयें हैं, जिन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय हैं परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त वस्तुओं के विक्रय पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल किया जाकर कर अपवंचन किया गया है । अतः निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को अधिनियम की धारा 75(1) के अन्तर्गत नोटिस जारी कर, खरीद- बिक्री के समस्त दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये। नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी को जवाब प्रस्तुत कर, निर्धारण कर अधिकारी द्वारा ग्रहण किया गया क्षेत्राधिकार विवादित किया गया, जिसे निर्धारण कर अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी "त्रैमासिक विवरणियों" का अवलोकन कर यह पाया कि विभिन्न त्रैमासों में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा "प्लास्टिक डोमेस्टिक वेयर" व थर्मो वेयर्स (सेलो ब्रांड) वस्तुओं को विक्रय त्रैमासिक विवरणियों में घोषित किया जाकर, 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर, राजकोष में जमा कराया गया है, जबकि उसके द्वारा बेचे गये प्लास्टिक के विभिन्न उत्पाद, "ब्राण्डेड" किस्म के हैं, जो कि अधिनियम की

2

### 3. अपील संख्या 2534, 2535,2536 व 2537 / 2011 / हनुमानगढ़

अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 159 की परिधि में नहीं आने के कारण, इनके विक्रय पर प्रत्यर्थी व्यवहारी पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय है। अतः विशिष्ट कारण बताओ नोटिस जारी कर, अंतर कर 8.5 प्रतिशत तथा अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अनुवर्ती ब्याज तथा करापवंचन करने का अपराध कारित करने के कारण, अधिनियम की धारा 61(1) के तहत शास्ति आरोपित करने हेतु नोटिसेज जारी किये गये। नोटिसेज की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, उपरोक्त तालिका में अंकित मांग राशियां कायम की जाकर, विवादित अवधियों के निर्धारण आदेश पारित किये गये। उक्त पारित निर्धारण आदेशों के विरुद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा मैसर्स कोडेक इण्डिया के प्रकरणों में प्रस्तुत अपील संख्या 607 व 608 / 2004 / जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 28.10.2004 में प्रतिपादित विधि के आलोक में, क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उठाये गये आक्षेपों को अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 25 के प्रावधानों के प्रकाश में, निर्धारण कर अधिकारी द्वारा की गयी प्रस्तावित कार्यवाही को विधिसम्मत होना अवधारित कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत कतिपय वस्तुओं यथा बेसिन, मग, कन्टेनर (डिब्बे), ट्रे (tray), ड्रिंकिंग जग (Drinking jug) को "बर्तनों" की श्रेणी में होना अवधारित कर, प्लास्टिक की बाल्टियों, के लिये पृथक से कर दर 4 प्रतिशत की दर से अनुसूची-IV के इन्द्राज क्रम संख्या-24 के प्रकाश में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अंतर कर व ब्याज को अपास्त कर, शेष ब्राण्डेड प्लास्टिक की वस्तुओं यथा:- बाथरूम सेट्स, सोपकेस, पाटला, सूमो स्टूल, एम्पटी बॉक्स व अन्य प्लास्टिक की ब्राण्डेड बिक्रीत वस्तुओं पर 12.5 की प्रतिशत की दर से अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा किये गये करारोपण व अनुवर्ती ब्याज को विधिसम्मत होना अवधारित कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा समस्त खरीद विक्रय के संव्यवहारों का जमाखर्च लेखापुस्तकों में दर्ज होने के कारण, निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 (1) के तहत आरोपित शास्ति को प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रोद्धरित कतिपय न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में, अपास्त कर, प्रत्यर्थी व्यवहारी की चारों अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर, प्रतिप्रेषित की गयी। जिससे व्यथित होकर, अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त चार अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

अपीलार्थी वाणिज्यिक कर अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्राण्डेड प्लास्टिक वस्तुओं पर

#### 4. अपील संख्या 2534, 2535, 2536 व 2537 / 2011 / हनुमानगढ

12.5 प्रतिशत की दर से, करारोपण कर, जो निर्धारण आदेश विवादित अवधियों के लिये पारित किये गये हैं, में कायम की गयी मांग राशियां पूर्णतः विधिसम्मत एवम् उचित है, जिन्हें अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से आंशिक रूप से स्वीकार कर, कतिपय ब्राण्डेड प्लास्टिक की वस्तुओं पर अतिरिक्त करारोपण व अनुवर्ती ब्याज तथा अधिनियम की धारा 61 (1) के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त करने में विधिक त्रुटि की गयी है । अग्रिम तर्क दिया कि प्रत्यर्थी-व्यवहारी द्वारा ब्राण्डेड प्रकृति के प्लास्टिक उत्पादों का विक्रय किया जाना निर्विवादित है तथा इन पर कर की दर अधिनियम की अनुसूची-V में अंकित शब्दावली के अनुसार स्वयमेव ही 12.5 प्रतिशत ही है, न कि 4 प्रतिशत । इस संबंध में अनुसूची-IV के इन्द्राज 159 की ओर ध्यानाकर्षित कर निवेदन किया गया कि उक्त अनुसूची-IV के इन्द्राज संख्या-159 के आलोक में, प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुयें ब्राण्डेड प्लास्टिक वस्तुयें होने के कारण, अपीलार्थी, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित अंतर कर, अनुवर्ती ब्याज व शास्तियां विधिसम्मत है । अतः इन्हें पुनर्स्थापित कर, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में प्रदान की गयी राहत के बिन्दु तक, अपास्त कर, प्रस्तुत चारों अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

प्रत्यर्थी-व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर प्रारम्भिक आपत्ति यह उठायी कि अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित करने से पूर्व सुनवायी का भी समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही विवादाधीन कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं। अग्रिम अभिवाक् किया कि किसी तीसरे पक्षकार के यहां सर्वेक्षण किए जाने के फलस्वरूप, प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही अविधिक है क्योंकि तीसरे पक्षकार के यहां सर्वेक्षण किये जाने के दौरान प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध, जो साक्ष्य/दस्तावेज का अवलोकन कर, निष्कर्ष अवधारित किये गये हैं, उनसे प्रत्यर्थी व्यवहारी को अवगत भी नहीं करवाया गया है, जो कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं देने के समान है । अतः उक्त प्रारम्भिक आपत्ति पर ही प्रस्तुत चारों अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया गया ।

गुणावगुण पर तर्क दिया कि उपर्युक्त वर्णित वस्तुओं का अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 159 से कोई संबंध नहीं है फिर भी निर्धारण अधिकारी ने मनमर्जी से बिक्रीत वस्तुओं को 12.5 प्रतिशत की दर से करयोग्य होना अवधारित किया है । अतः ऐसी स्थिति में, विद्वान अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश, जो समस्त तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति का गहन विश्लेषण एवम् विवेचन कर पारित किये गये हैं, में किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने का कोई विधिसम्मत एवम् युक्तियुक्त औचित्य नहीं है । जहां तक अनुसूचियों के इन्द्राजों में अंकित शब्दावली को लेकर कोई विवाद

5. अपील संख्या 2534, 2535,2536 व 2537 / 2011 / हनुमानगढ

कर दर के संबंध में हो अथवा यदि कोई मतभिन्नता हो, तो ऐसी स्थिति में, माननीय न्यायालयों का निरंतर यह मत रहा है कि ऐसे इन्द्राजों का निर्वचन करदायी के हित में किया जाना विधिसम्मत है ।

विद्वान अभिभाषक ने वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि कर कानूनों में जो कुछ लिखा गया है उसके अतिरिक्त पढ़ा जाना अनुज्ञेय नहीं है । इस संबंध में अभिवाक् किया कि प्लास्टिक के समस्त बर्तन, प्लास्टिक की बाल्टियां, प्लास्टिक कन्टेनर्स उपर्युक्त वर्णित अनुसूची-IV उपर्युक्त वर्णित इन्द्राजों से अधिशासित होते हैं एवम् इस संबंध में विधायिका द्वारा किये गये इन्द्राज विशिष्ट है । अधिनियम की अनुसूची-V के इन्द्राज क्रम संख्या-1 की ओर ध्यानाकर्षित कर कथन किया कि इसमें वस्तुयें, जो किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं है, उन पर कर की दर 12.5 प्रतिशत है, जबकि प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रकरणों में उपर्युक्त वर्णित विवेचन व इन्द्राजों के अनुसार, अधिनियम की धारा 4 के आलोक में, 4 प्रतिशत की दर से ही कर दायित्व है । तर्क दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा माल की खरीद अथवा विक्रय के संव्यवहारों को लेखापुस्तकों से छिपाया नहीं गया है । अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने सदभावनापूर्वक, सभी विक्रय संव्यवहारों का लेखापुस्तकों में जमाखर्च कर रखा है । इस संबंध में पूरे बिल्स एवम् दस्तावेज मौजूद हैं तथा व्यवहारी द्वारा नियमित रूप से विक्रय विवरणियां समय-समय पर प्रस्तुत की जाती रही हैं तथा विवरणियों में घोषित आवर्तानुसार देय कर राजकोष में जमा करवाया जाता रहा है । अतः ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी को करापवंचन किये जाने का दोषी मानकर, अधिनियम की धारा 61(1) के अन्तर्गत, जो शास्ति आरोपित की गयी है, वह पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है, जिसे अपास्त करने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है । यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व, प्रकरण में कर दायित्व के संबंध में गंभीरता से कोई जांच नहीं की गयी है बल्कि अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी ने अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 159 को आधार बनाकर मनमर्जी से प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत ब्रण्डेड प्लास्टिक वस्तुओं के विक्रय पर 12.5 प्रतिशत की दर से जो करारोपण किया है, वह पूर्णतः अविधिक एवम् अनुचित है । अपने कथनों के समर्थन में कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 412,413, 414 व 415/2010/जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत द्वितीय, राजस्थान, जयपुर बनाम मैसर्स सेलो वर्ल्ड, महावीर मेगा मार्ट, पावटा, जोधपुर निर्णय दिनांक 08.12.2011 एवं अपील संख्या 868 एवं 869/2010/जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत द्वितीय, राजस्थान, जयपुर बनाम मैसर्स सेलो वर्ल्ड, महावीर मेगा मार्ट, पावटा, जोधपुर निर्णय दिनांक 12.12.2011 को उद्धृत किया गया, जिसमें अग्रांकित न्यायिक दृष्टांत प्रोद्धरित किये गये:-

6. अपील संख्या 2534, 2535, 2536 व 2537 / 2011 / हनुमानगढ

- (i) मैसर्स भारत विजय मिल्स लि, बनाम् कमशिनर ऑफ कमर्शियल टैक्सेज, 85 एस. टी.सी. 23. (कर्नाटक) ।
- (ii) मैसर्स मयूरी यीस्ट इण्डिया (प्रा.) लि. व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य, 9 वैट रिपोर्टर 190. (सु.को.) ।
- (iii) मैसर्स ओरियंट पेपर एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. बनाम् स्टेट ऑफ एम.पी. एण्ड अदर्स, (2007) वैट रिपोर्टर 20. (सु.को.) ।
- (iv) मैसर्स पी.के.ऊन्नी बनाम् निर्मला इण्डस्ट्रीज एण्ड अदर्स, ए.आई.आर 1990 (सु.को.) 993 ।
- (v) श्री राम, दया राम एण्ड अदर्स बनाम् द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ए.आई.आर 1961 (सु.को.) 674 ।
- (vi) मैसर्स नेशनल इंशोरेन्स कं०, लि. बनाम् शिन्दर कौर एण्ड अदर्स, ए.आई.आर 1998 184. (पंजाब एण्ड हरयाना) ।
- (vii) मैसर्स टी.टी.के प्रेस्टीज लि. बनाम् स्टेट ऑफ कर्नाटक, 133 एस.टी.सी. 317. (कर्नाटक) ।
- (viii) मैसर्स स्टोवेकाफ्ट प्रा.लि. बनाम् स्टेट ऑफ कर्नाटक, 147 एस.टी.सी.329. (कर्नाटक) ।
- (ix) मैसर्स एलेम्बिक ग्लास इण्डस्ट्रीज लि. बड़ौदा बनाम् द स्टेट ऑफ गुजरात, अपील क्रमांक 14/2006, निर्णय दिनांक 22.11.2006. (गुजरात वैल्यू ऐडेड टैक्स ट्रिब्यूनल) ।
- (x) कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स, यू.पी.बनाम् मैसर्स टाटा ऑयल मिल्स, कं० लि. 22 टैक्स अपडेट 267. (इलाहाबाद)
- (xi) मैसर्स श्री मेटेलिक यार्न इण्डस्ट्रीज, अजमेर बनाम् वा.क.अ., अजमेर 8 वैट रिपोर्टर 176. (राजस्थान)
- (xii) मैसर्स राठी सिन्थेटिक्स एण्ड सिल्क मिल्स, भवानीमण्डी बनाम् वा.क.अ., प्रतिकरापवंचन-प्रथम, कोटा अपील संख्या 1563, 1564 व 1565/199/झालावाड़, निर्णय दिनांक 15.11.2002, 4 टैक्स अपडेट 232. [आर.टी.बी.(एस.बी.)]
- (xiii) मैसर्स ह्यूलेट-पैकर्ड इण्डिया सेल्स प्रा.लि., सी-185, सिंघल ऐरोमेटिक्स, वी.के. आई. एरिया, जयपुर बनाम् वा.क.अ. प्रतिकरापवंचन, जोन-द्वितीय, जयपुर, अपील संख्या 1574 से 1576/2008/जयपुर, 25 टैक्स अपडेट 189. [आर.टी.बी.(डी.बी.)]
- (xiv) वा.क.अ., वृत्त-द्वितीय, राजस्थान, जयपुर बनाम् मैसर्स मदनलाल मालपानी एण्ड कं०, अपील क्रमांक 286 से 294 निर्णय दिनांक 15.04.2011. [आर.टी.बी.(डी.बी.)]

उपर्युक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में पुनः जोर देकर तर्क दिया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत वस्तुयें अनुसूची-IV के इन्द्राज क्रम संख्या-7 "समस्त बर्तनों" तथा प्लास्टिक की बाल्टियां उक्त अनुसूची-IV के इन्द्राज क्रम संख्या-24 से आच्छादित है । अतः उक्त बिक्रीत वस्तुओं के लिये कर दर के विशिष्ट इन्द्राज मौजूद होने के कारण, "सैलो ब्राण्ड" की उक्त ब्राण्डेड प्लास्टिक वस्तुओं पर कर की दर 4 प्रतिशत अवधारित करने में विद्वान अपीलीय अधिकारी ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। जहां तक अन्य ब्राण्डेड प्लास्टिक वस्तुओं का प्रश्न है, जो उपर्युक्त वर्णित इन्द्राजों से आच्छादित नहीं हैं, उन पर विद्वान अपीलीय अधिकारी ने आलोच्य अवधियों में 12.5 प्रतिशत की दर से किये गये करारोपण व अनुवर्ती ब्याज को उचित होना अवधारित किया है, अतः ऐसी स्थिति में, विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की गयी। अपीलार्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की

7. अपील संख्या 2534, 2535,2536 व 2537 / 2011 / हनुमानगढ

धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को विधिसम्मत नहीं होना प्रकट कर, कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल के समस्त संव्यवहार बहीयात में दर्ज है, न ही विवरणियों से किसी प्रकार का कोई विक्रय संव्यवहार छिपाया गया है। केवल कराधान के इन्द्राज के निर्वचन का विवाद पैदा कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा मनमर्जी से अधिनियम की धारा 61(1) के तहत कर अपवचन अवधारित कर, शास्ति आरोपित करना न्यायोचित नहीं है।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया एवम् माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि का ससम्मान अध्ययन किया गया। रिकॉर्ड के अवलोकन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को निर्धारण अधिकारी द्वारा सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जारी नोटिसेज की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत किये गये हैं अतः रिकॉर्ड के अनुशीलन से प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवायी का अवसर दिया जाना प्रकट है, लिहाजा उठायी गयी प्रारम्भिक आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है। यह तथ्य निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी "सैलो ब्रांड की प्लास्टिक वस्तुओं का विक्रेता है। अतः इस बिन्दु पर भी विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उठाये गये तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं। इस संबंध में रिकॉर्ड के अनुशीलन व माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, अनुसूची- IV के ही इन्द्राज क्रम संख्या-159 तथा अनुसूची-V के इन्द्राज क्रम संख्या-1 में अंकित "शब्दावली" का अध्ययन किया जाना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

अनुसूची-IV (अधिनियम की धारा-4) 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य वस्तुयें:-

- (i) इन्द्राज क्रम संख्या-7- "All utensils including pressure cookers, pans and cutlery but excluding utensils made by precious metals"
- (ii) इन्द्राज क्रम संख्या-24- "Buckets made of iron and Steel; aluminium, plastic or other materials except precious metals."
- (iii) इन्द्राज क्रम संख्या-95- "Packing materials."
- (iv) इन्द्राज क्रम संख्या-159- "Unbranded household plastic goods namely comb, Jug, Soap case, mug, photoframes, chakla, belan, patta, chhalani, lunch box, pencil box, bottles, trays, tokaras including baskets, mats, basins, tubs and drums provided that per item price does not exceed rupees two hundred."

8. अपील संख्या 2534, 2535, 2536 व 2537 / 2011 / हनुमानगढ़

(v) अनुसूची-IV के इन्द्राज संख्या-69 के अनुसार भाग-‘ब’ का इन्द्राज संख्या-160:-  
**“ Articles for packing of goods of plastics namely crates, containers, carboy bottles, jars, jerrycans, stoppers, lids, caps, but not including insulated wares and such other items used at the time of sale for the convenience of the customers including carry bags.”**

(vi) अनुसूची-V के इन्द्राज संख्या-1 “ **Goods not covered in any other schedule under the Act or under any notification issued under section-4 of the Act.**”

11. अब हमारे समक्ष निणयार्थ बिन्दु यह है कि क्या प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधियों की त्रैमासिक विवरणियों में घोषित बिक्रीत “प्लास्टिक डोमेस्टिक वेयर्स”, जो सुनवायी के दौरान प्लास्टिक की ब्राण्डेड वस्तुयें यथा:- बाथरूम सेट्स, सोपकेस, पाटला, सूमो स्टूल, एम्पटी बॉक्स व अन्य ब्राण्डेड प्लास्टिक वस्तुयें हैं, पर उपर्युक्त वर्णित अनुसूचियों में वर्णित शब्दावली के आलोक में, अधिसूचित कर दर क्या है ? इस बिन्दु पर निर्णय हेतु माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित विधि व अनुसूचियों में वर्णित कर दर के इन्द्राजातों पर विचार करना समीचीन होगा। अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ऊपर वर्णित प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में माननीय उच्चतम न्यायालय, कर्नाटक उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय तथा राजस्थान उच्च न्यायालय का यह निरंतर मत रहा है कि “कर” दर के इन्द्राज के निर्वचन पर विवाद की दशा में, करदायी के हित की ही कर दर का इन्द्राज लागू किये जाने योग्य है । इस संबंध में कतिपय न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि का अवलोकन करना न्यायहित में समीचीन होगा, जो अग्रंकित है:-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कमिश्नर ऑफ सेन्ट्रल एक्साईज़, चण्डीगढ़ बनाम मैसर्स दोआबा स्टील रोलिंग मिल्स, सिविल अपील क्रमांक 3400 ऑफ 2003 निर्णय दिनांक 06.07.2011 में विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में निम्न प्रकार अभिव्यक्त किया गया है:-

**“.....the principle that a taxing statute should be strictly construed is well settled. It is equally trite that the intention of the Legislature is primarily to be gathered from the words used in the statute. Once it is shown that an assessee falls within the letter of the law, he must be taxed however great the hardship may appear to the judicial mind to be.**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त वर्णित न्यायिक निर्णय में इस संबंध में कराधान के सिद्धांतों की व्याख्या को सुस्पष्ट करते हुये माननीय उच्चतम न्यायालय के

१-



9. अपील संख्या 2534, 2535, 2536 व 2537 / 2011 / हनुमानगढ़

पूर्व में निर्णित निम्न न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि को निम्न प्रकार अंकित किया है:—

On the principles of interpretation of taxing statutes, the following passage from the opinion of Late Rowlatt, J. In **Cape Brandy Syndicate Vs. Inland Revenue Commissioner's** 1921 (1) के.बी 64, 71 has become the locus classicus and has been quoted with approval in a number of decisions of this court:

**".....in a taxing act, one has to look merely at what is clearly said. There is no room for any intendment. There is no equity about a tax. There is no presumption as to a tax. Nothing is to be read in, nothing is to be implied. One can only look fairly at the language used."**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत ***Commissioner of Sales Tax, Uttar Pradesh Vs. The Modi Sagar Mills Ltd.***, (1961) 2 एस.सी.आर. 189 में J.C. Shah, J. की अभिव्यक्तियों को निम्न प्रकार अंकित किया है:—

**"In Interpreting a taxing statute, equitable considerations are entirely out of place. Nor can taxing statutes be interpreted on any presumptions or assumptions. The court must look squarely at the words of the statute and interpret them. It must interpret a taxing statute in the light of what is clearly expressed, it cannot imply anything which is not expressed,; it cannot import provisions in the statutes so as to supply any assumed deficiency."**

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टांत ***Maturam Agarwal Vs. State of Madhya Pradesh***, (1999) 8 एस.सी.सी. 667 में न्यायमूर्ति D.P. Mahapatra, ने संवैधानिक पीठ की ओर से निम्न प्रकार विधि को अवधारित किया है:—

"The intention of the legislature in a taxation statute is to be gathered from the language of the provisions particularly where the language is plain and unambiguous. In a taxing Act it is not possible to assume any intention or governing purpose of the statute more than what is stated in the plain language. It is not the economic results sought to be obtained by making the provision which is relevant in interpreting a fiscal statute. Equally impermissible is an interpretation which does not follow from the plain, unambiguous language of the statute. Words cannot be added to or substituted so as to give a meaning to the statute which

10. अपील संख्या 2534, 2535,2536 व 2537 / 2011 / हनुमानगढ

will serve the spirit and intention of the legislature. The statute should clearly and unambiguously convey the three components of the tax law i.e. the subject of the tax, the person who is liable to pay the tax and the rate at which the tax is to be paid. If there is any ambiguity regarding any of these ingredients in a taxation statute then there is no tax in law. Then it is for the legislature to do the needful in the matter.”

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मैसर्स भारत विजय मिल्स लि, बनाम् कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेज, 85 एस.टी.सी. 23 के प्रकरण में निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित की है:— “ The question will have to be answered with reference to the principles of interpretation applicable to be taxing statute. In the decision reported in {1973} 88 ITR 192( Commissioner of Income Tax Vs. Vegetable Products Ltd.), it was held by the Supreme Court that if there are two competing entries, the entry which is beneficial to the assessee will have to be adopted. Though there is no equity in the taxing statue, the rule of interpretation that in the matter of competing interests, a citizen should be given the benefit as against the State is not excluded. The same idea is conveyed when it is said that if an article is to be taxed and the said article may fall within two entries, the entry which is more beneficial to the assessee will have to be accepted as applicable to the article in question.”

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मैसर्स मयूरी यीस्ट इण्डिया (प्रा.) लि. व अन्य बनाम् स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य 9 वैंट रिपोर्टर 190 में निम्न प्रकार सिद्धांत प्रतिपादित किया है:— “It is now a well settled principle of law that in interpreting a different entires, attempts shall be made to find out as to whether the same answers the descriptions of the contents of the basic entry and only in the event it is not possible to do so, recourse to the residuary entry should be taken by way of last resort.”

प्रत्यर्था व्यवहारी की ओर से कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 412,413, 414 व 415 / 2010 / जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत द्वितीय,राजस्थान, जयपुर बनाम मैसर्स सेलो वर्ल्ड,महावीर मेगा मार्ट, पावटा, जोधपुर निर्णय दिनांक 08.12.2011 एवं अपील संख्या 868 एवं 869 / 2010 / जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत द्वितीय,राजस्थान, जयपुर बनाम मैसर्स सेलो वर्ल्ड,महावीर मेगा मार्ट, पावटा, जोधपुर निर्णय दिनांक 12.12.2011 में उपर्युक्त

11. अपील संख्या 2534, 2535,2536 व 2537 / 2011 / हनुमानगढ

वर्णित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा बेसिन, मग,कन्टेनर (डिब्बे), ट्रे (tray), ड्रिंकिंग जग (Drinking jug) को "बर्तनों" की श्रेणी में होना अवधारित कर, प्लास्टिक की बाल्टियों, के लिये पृथक से कर दर 4 प्रतिशत की दर से एवं ब्राण्डेड प्लास्टिक वस्तुयें यथा:- बाथरूम सेट्स, सोपकेस, पाटला, सूमो स्टूल,एम्पटी बॉक्स व अन्य प्लास्टिक की ब्राण्डेड बिक्रीत वस्तुओं के विक्रय पर कर दर का प्रश्न है, उक्त पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर दायित्व होना अवधारित किया गया, जो पूर्णतः उचित एवं विधिसम्मत है। अतः इन बिन्दुओं पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है ।

जहां तक अधिनियम की धारा 61(1) के तहत आरोपित शास्ति का प्रश्न है, विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय व कर बोर्ड के न्यायिक निर्णयों में निरंतर प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, अधिनियम की धारा 61(1) के तहत आरोपित शास्ति भी अपास्तनीय होना निर्णित किया गया है, जो ऊपर वर्णित प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में, विधिसम्मत एवम् उचित है क्योंकि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा बहीयात व विवरणियों से कोई विक्रय/क्रय संव्यवहार छिपाया नहीं गया है। अतः इस बिन्दु पर भी विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई विधिसम्मत औचित्य प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा, विद्वान अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है ।

परिणामतः राजस्व की ओर से प्रस्तुत चारों अपीलें अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय सुनाया गया ।

(सुनील शर्मा )

सदस्य

( राकेश श्रीवास्तव )

अध्यक्ष